न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 9 / 2017(उदयपुरआर्डर)

1. मांगीलाल पिता नन्दा जी डांगी, निवासी सरजना (रणछोडपुरा), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. मोहन पिता चेना जी डांगी, निवासी सरजना (रणछोडपुरा), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. वालचन्द पिता चेना जी डांगी, निवासी सरजना (रणछोडपुरा), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. मोती पिता दूदा जी डांगी, निवासी सरजना (रणछोडपुरा), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. गेहरीलाल पिता दूदा जी डांगी, निवासी सरजना (रणछोडपुरा), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. प्रभुलाल पिता तुलसीराम जी डांगी, निवासी सरजना (रणछोडपुरा), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती वरदीबाई बेवा तुलसीराम जी डांगी, निवासी सरजना (रणछोडपुरा), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार / उपपंजीयक, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
6. निर्भयसिंह पिता तेजसिंह जी राजपूत, निवासी राणावतों का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णयउपखण्डअधिकारीवल्लभनगर
दिनांक14.03.2017प्र॰सं॰48 / 2011

———/———

उपस्थित (वक्त बहस)
1. श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषकअपीलान्टगण
2. श्री सत्यप्रकाश व्यास / अभिमन्यु जाट अभि.रे.सं. 1 से 4,6
3. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णयदिनांक 30–01–2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा राणा कुई,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:29 IST
Reason: SelfAttested

तहसील वल्लभनगर में आराजी नंबर 21/7 रकबा 12 बिघा 10 बिस्वा, आराजी नंबर 27/2 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 25 बीघा भूमि स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्से से, विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/3 हिस्से सं एवं विपक्षी संख्या 3 व 4 के नाम 1/3 हिस्से से अंकित है। विवादित आराजियात संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैत्रृक सम्पत्ति है, जो बाप–दादाओं के समय से चली आ रही है। मूल पुरूष भेरा जी होकर उनके पॉच पुत्र दूदा, पेमा, लाला, चेना, नन्दा हुए जिनका सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार है। भेरा जी का निधन संवत् 2022 से पूर्व ही हो गया था, जिससे भूमि उनके पॉचों पुत्रों के नाम 1/5, 1/5 हिस्से से निहित होकर आधिपत्यधारी हुए। आज से करीब 50 वर्ष पूर्व पांचों भाईयों ने मिलकर मौखिक फैमिली सेटलमेन्ट का पांतियां अलग–अलग कर काबिज हो गये, तब से पांचों भाई अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। उक्त आराजियात में प्रार्थी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/25 हिस्सा एवं अन्य खातेदारों का प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार हक हिस्सा होकर संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु दूदा जी बड़े भाई एवं कर्ता खानदान होने से भेरा की मृत्यु के बाद उक्त समस्त आराजियात अपने नाम अंकित करवा ली एवं उनके मरने के बाद विरासत से विपक्षीगण के नाम अंकित हो गयी, जबकि उक्त आराजियात में भेरा जी के समस्त वारिसान का समान हक व हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु राजस्व रेकार्ड में विपक्षीगण का नाम अंकित हो जाने से वादग्रस्त भूमि अन्य लोगों को बेह, बक्षीस एवं विक्रय करने पर उतारू हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण का कब्जा 50 वर्षो से अधिक समय से होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (1) (4) अनुसार भी खातेदार काश्तकार हो चुके हैं। अतः विपक्षीगण कोजरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र में अंकित उक्त भूमि में प्रार्थीगण के शान्ति पूर्वक उपयोग–उपभोग मेंकिसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, रहन, बेह, बक्षीय अन्य तरीकों से हस्तान्तरित नहीं करें तथा राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

विपक्षी संख्या 1 ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात संवत् 2017 से [illegible] नाम चली आ रही है ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:29 IST
Reason: SelfAttested

स्थिति में विवादित भूमि संयुक्त परिवार की पैत्रृक भूमि होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थीगण का विवादित आराजियात में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं है, न ही उनका कब्जा है। जब प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा ही नहीं है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (1) (4) के अनुसार वह किसी प्रकार से खातेदार नहीं हो सकते। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विपक्षी संख्या 2 से 4 की ओर से भी उपरोक्तानुसार खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वाराउभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 14—03—2017 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्रखारिज कर दिया,जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 20—03—2017 कोयह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 व 6की ओर से वकील श्री सत्यप्रकाश व्यास व अभिमन्यु जाट उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि विवादित आराजियात भेरा जी के समय की होकर फैमली सेटलमेन्ट अनुसार उनका अपने हिस्से की आराजियात पर अपने बाप—दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है, किन्तु दूदा जी बड़े भाई होने से उन्होंने भूमि अपने अकेले के नाम अंकित करवा ली, जबकि भेरा के पॉचों पुत्रों का उक्त आराजियात में समान हक हिस्सा होकर प्रत्येक का 1/5, 1/5 हक व हिस्सा है तथा 50 वर्षो से अधिक समय से निर्बाध रूप से काबिज चले आ रहे हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा मूलवाद के निस्तारण तक रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि विवादित आराजियात संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रृक सम्पत्ति नहीं होकर दूदा जी की स्वअर्जित सम्पत्ति है तथा रेस्पोन्डेन्टगण दूदा जी के समय से काबिज चले आ रहे हैं। मौके पर अपी[illegible]का एक ईंच भूमि पर न तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:29 IST
Reason: SelfAttested

कभी पूर्व में कब्जा रहा है, न ही वर्तमान में है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाये जाने के आधार पर इनका अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020 में विवादित आराजी नंबर 21/7 रकबा 12 बिघा 10 बिस्वा, आराजी नंबर 27/2 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 25 बीघा भूमि दूदा पिता भेरा के खातेदारी में दर्ज है तथा जमाबन्दी संवत् 2049 से 2052 में उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अपीलान्ट/प्रार्थीगण उक्त भूमि को भेरा के समय की होने का कथन करते हैं, किन्तु उक्त भूमि भेरा के समय से चली आ रही हो, इस हेतु कोई साक्ष्य उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। जहां तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (1) (4) अनुसार खातेदार होने का प्रश्न है, इस हेतु कब्जे बाबत् भी उनकी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। जहां कब्जा अन्यथा किसी का साबित न हो, कब्जा खातेदार का ही होने की अवधारणा ली जाती है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अशोभनीय क्षति अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होना मानते हुए उनका अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतःअपील अपीलान्टसारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14–03–2017यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:29 IST
Reason: SelfAttested